

13/9/2022

पत्रावली पैदा हुई। वकील पार्थी व अपार्थी अनु.। वकील उभयपक्ष को विधिवत रूप से आवाजे लगवाई गई परन्तु कोई उप. नहीं ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षों की अनुपस्थिति में पत्रावली अदम हाजरी अदम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली फॉल्स्यु श्रुमार होकर नम्बर से काम हो शा.पा. हो।

3
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

